



श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश

518, न्यू मोती बंगला, एम.जी. रोड़, इन्दौर-452 007

दूरभाष : 0731-2432822, फैक्स : 0731-2536600

ई-मेल : commlab@nic.in वेबसाइट : <http://labour.mp.gov.in>

क्रमांक 1/17/नवम/प्रवर्तन/2009/13777-833, इन्दौर, दिनांक 20-4-15,
प्रति,

1. समस्त उप श्रम आयुक्त, इन्दौर, भोपाल
2. समस्त सहायक श्रमायुक्त, संभागीय श्रम कार्यालय (म.प्र.)
3. समस्त श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी/श्रम निरीक्षक जिला श्रम कार्यालय

विषय:-वर्ष 2015-16 हेतु विभागीय कार्यों का लक्ष्य निर्धारित किये जाने के संबंध में-प्रवर्तन कार्य का लक्ष्य।

**संदर्भ:-श्रम आयुक्त कार्यालय का परिपत्र क्रमांक 17/7/2013/11433-512
दिनांक 01/04/2015**

उपर्युक्त विषयक संदर्भित परिपत्र का अवलोकन करें जिसके द्वारा वर्ष 2015-16 के लिए प्रमुख विभागीय कार्य एवं गतिविधियों के लक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रदान किये जाकर उनके क्रियान्वयन के निर्देश दिये गये हैं।

उपर्युक्त परिपत्र के बिन्दु क्रमांक 5 में उल्लेखानुसार विभिन्न श्रम अधिनियमों में निरीक्षण हेतु दिशा-निर्देश निम्नानुसार दिये जाते हैं—

1. श्रम निरीक्षक जिला कार्यालय प्रमुख के निर्देश प्राप्त करके ही निरीक्षण करेंगे। अर्थात् किन संस्थानों/नियोजकों का निरीक्षण किया जाना है, इसका निर्धारण जिला कार्यालय प्रमुख द्वारा किया जाकर संबंधित श्रम निरीक्षकों को संस्थानों की सूची व निरीक्षण के लक्ष्य आबंटित किए जाएंगे।

2. जिन दुकानों/स्थापनाओं में 10 से कम श्रमिक कार्यरत हैं, उनमें म.प्र. दुकान एवं स्थापना (संशोधन) अधिनियम, 2014 की धारा 41 (3) के प्रावधानानुसार श्रमायुक्त की अनुमति के बिना श्रम कानूनों में निरीक्षण नहीं किए जाएंगे।

3. जो संस्थान VCS अंतर्गत सम्मिलित हैं अथवा VCS में सम्मिलित होने हेतु आवेदन लंबित है, उनका निरीक्षण भी श्रमायुक्त की अनुमति से ही किया जाएगा।

4. निरीक्षण करने के उपरान्त नियोजक को निरीक्षण टीप यदि तत्काल प्रदान नहीं की गई हो तो निरीक्षण दिनांक से 5 कार्य दिवस के भीतर निरीक्षण टीप E-Mail से संबंधित संस्थान को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

5. यथासंभव समस्त श्रम अधिनियमों में एक साथ निरीक्षण सम्पादित कर लिए जावें।

6. निरीक्षण का उद्देश्य संख्या पूर्ति न होकर गुणवत्तापूर्ण निरीक्षण किया जाना है। गुणवत्ता को अभियोजन/दावों की संख्या से आंका जावेगा।

7. संस्थान के निरीक्षण के समय मात्र रुटीन निरीक्षण नहीं किया जायेगा अपितु मुख्य रूप से निम्न प्रावधानों के परिपालन की पुष्टि रिकॉर्ड से तथा श्रमिकों के बयान लेकर की जायेगी—

- अ. न्यूनतम वेतन का परिपालन
- ब. नियमानुसार वेतन एवं ओवर टाईम का भुगतान
- स. नियमानुसार बोनस का भुगतान
- द. वेतन पर्ची का प्रदाय
- इ. नियमानुसार अवकाश दिया जाना
- फ. महिला एवं पुरुष श्रमिकों को समान कार्य हेतु समान वेतन
- ग. ठेका कार्य हेतु नियमानुसार पंजीयन एवं अनुज्ञाप्ति
- घ. ठेका श्रमिकों को प्रावधानानुसार सेवाशर्तों का परिपालन
- ङ. कारखाने के श्रमिकों के समान कार्य में रत ठेका श्रमिकों को समान वेतन एवं सुविधाएँ
- क. बाल श्रमिक का नियोजन न होना
- ख. श्रमिकों को वेतन बैंक के माध्यम से प्रदान किया जाना
- घ. सेवानिवृत्ति 60 वर्ष की आयु पर की जाना तथा सेवानिवृत्ति लाभ जैसे—ग्रेच्युटी आदि नियमानुसार प्रदान करना।

8. निरीक्षक द्वारा प्रत्येक निरीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्यतः 2 कार्य दिवस में कार्यालय प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा इसमें पाये गये गंभीर उल्लंघनों के संबंध में कार्यालय प्रमुख के अनुमोदन से अभियोजन/दावा दायर करने संबंधी अनुवर्ती कार्यवाही 3 सप्ताह में अनिवार्यतः पूर्ण की जावेगी। किसी भी दशा में गंभीर उल्लंघनों की स्थिति में प्रकरण को कार्यालय में उक्त समय—सीमा से अधिक लंबित नहीं रखा जायेगा। इस कार्यवाही के आधार पर ही निरीक्षण कार्य की गुणवत्ता का आकलन किया जावेगा।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन निर्धारित समय—सीमा अनुसार सुनिश्चित किया जावे। प्रत्येक कार्यालय प्रमुख आगामी माह की 05 तारीख तक गत माह का प्रवर्तन संबंधी मासिक प्रपत्र मुख्यालय को अनिवार्यतः प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।




(के.सी.गुप्ता)
श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इन्दौर

क्रमांक 1/17/नवम/प्रवर्तन/2009/13834-39,
प्रतिलिपि,

इन्दौर, दिनांक ०२०८५-१५

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. समस्त प्रभारी अधिकारी, मुख्यालय की ओर संदर्भित परिपत्र के संदर्भ में सूचनार्थ।



श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इन्दौर